

प्रेषक,

श्री एस० ए० रिजवी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ ।

शिक्षा ५५ अनुभाग ।

लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 1983

विषय :- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों के चारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा के संबंध में ।

महोदय,

-4-

उपर्युक्त विषयक पर वित्त सामान्य अनुभाग-4 की राजाज्ञा सं० 1905/दस-18-02-70 दिनांक 30-10-81 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये हमें आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अवकाश नकदीकरण से संबंधित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग ११७७-80 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षकों/तर्कचर्याओं को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी इस निमित्त होने वाले व्यय को वहन करने के लिये राज्यपाल महोदय ने वित्तीय वर्ष ११७८-83 में ₹०.११,००,०००/- ₹० ग्यारह लाख मात्र ₹ का धनराशि आपके निर्वहन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है । स्वीकृत धनराशि को कोषागार लखनऊ से आहरित कर लिया जाय तथा इस धनराशि का इस वित्तीय वर्ष में उपयोग सुनिश्चित किया जाय । शिक्षा निदेशक, लखनऊ के शिविर कार्यालय के उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा वि० को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को दि० 31-3-83 से पूर्व आहरण करने के लिये अधिकृत किया जा रहा है ।

१। वेतन आयोग द्वारा संस्तुत और शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मानों में 1400 रुपये प्रतिमास अथवा उसे कम वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को एक मास/30 दिन अवकाश नियमों के अन्तर्गत ऐसी स्थिति हो तथा 1400 रुपये प्रति मास से अधिक पाने वाले परिषदीय सेवकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा, अवकाश के वास्तविक उपभोग के बिना, इस शर्त पर अनुमन्य होगी कि कथित एक मास/30 दिन/15 दिन के अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात अभ्यर्पण के दिनांक को संबंधित परिषदीय सेवक के अवकाश लेख में कम से कम 60 दिन का अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रह जाय । अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात अवकाश लेख में कम से कम 60 दिन के अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रखने का प्राविधान परिषदीय सेवकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से किया गया है कि परिषदीय सेवक आवश्यकता पडने पर उसका उपभोग कर सकें और उन्हें अर्ध वेतन/निर्वहन अवकाश लेख के लिए बाध्य न होना पड़े ।

२। वर्तमान वेतनमानों में कार्य रत परिषदीय सेवकों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हों, अवकाश के नकदीकरण की अनुमन्यता के लिये उनके मूलवेतन में दि० 1-7-1979 को अनुमन्य मंज़ूरी भत्ता/अतिरिक्त मंज़ूरी भत्ता

जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार अर्जित वेतन के आधार पर ही उन्हें एक मास/30 दिन/15 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

§3§ अवकाश नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये केवल मूल नियम 22 §एक§ में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा अन्य वेतन को उपेक्षित कर दिया जाना चाहिये।

§4§ इस प्रकार के अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिए संबंधित परिषदीय सेवक को अवकाश वेतन, वेतन तथा मेंगाई भत्ता वह देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से एक मास/30 दिन/ 15 दिन का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से उपभोग करने की स्थिति में अन्यथा अनुमन्य होता, किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये देय न होगा। यह धनराशि संपूर्ण रूप से देय होगी और उससे से भविष्य निधि, अग्रिम, मकान किराये, सहकारी समितियों के देय आदि के संबंध में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

§5§ औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकार करने के लिये सक्षम होंगे। अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्रतिनिधि संलग्न दिये जाने चाहिए। परिषदीय सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक अपने आवेदन पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा किस दिनांक को अवकाश अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है और अवकाश उसी दिनांक को अभ्यर्पित माना जायेगा। तदनुसार संबंधित परिषदीय सेवक के अवकाश लेख में से अभ्यर्पण के दिनांक को एक मास/30 दिन/15 दिन का अर्जित अवकाश कम कर दिया जाना चाहिये और अवकाश लेख में इस आगम की अभ्युक्ति अंकित कर दी जाना चाहिए कि यह कभी परिषदीय सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गयी है।

§6§ अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार अनुमन्य होगी।

§7§ अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के क्रम में लिया जाने वाला उपार्जित अवकाश औसत वेतन पर अवकाश जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में परिषदीय सेवक को देय अवकाश अथवा 120 दिन से अधिक नहीं होगा।

§8§ अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जिनमें परिषदीय सेवकों को सेवा निवृत्त होने से एक मास/30/15 दिन से कम अवधि शेष है।

§9§ यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के संबंध में आवश्यक प्रविष्ट अवकाश लेख में कर दी गयी है, जहाँ तक परिषदीय कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्धित अवकाश वेतन के आहरण, के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अंकित कर दिया जायेगा। अभ्यर्पित/अवकाश से सम्बन्धित/अवकाश वेतन आहरित करते समय वितरण अधिकारी द्वारा उस विल में जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाय इस आगम का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उपरोक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियों सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में कर दी गई।

§10§- परिषदीय सेवकों को यह सुविधा उल्लब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित किये हुए अवकाश के संबंध में प्राप्त धन को अपने भविष्य निधि के खाते में जमा कर दें।

- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत उन शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमत्त न होगी जो प्राथमिक विद्यालयों से संबद्ध होने के कारण शिष्म अवकाश अथवा अन्य इसी प्रकार का अवकाश उपभोग करते हैं।
- 2- यह आदेश दिनांक 1 मार्च 1981 से प्रभावी होगा।
- 3- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष ॥1982-83॥ में आय-व्ययक के लेखाशीर्षक बि. 277-शिक्षा-क-प्राथमिक शिक्षा-आयोजनेत्तर॥1॥ अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता ॥1॥ सहायक अनुदान॥॥/बालकों॥2॥ बालिकाओं के से विकलित होगा।
- 4- यह आदेश वित्त॥व्ययक निर्णय ॥अनु०-1॥ के अशासकीय पत्र सं० 8979 दस-ई 11-83 दिनांक 26-3-83 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह०/॥ एस० ए० रिजवी
अनु सचिव

सं० 157/ ॥ ॥ 15-8-370/82 तदिनांक

प्रतिनिधित्वनिर्वाहिका को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित:-

- ॥1॥ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, झांझाबाद।
- ॥2॥ प्रमुख स्थानीय निधि लेखा, उ० प्र०, झांझाबाद
- ॥3॥ समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- ॥4॥ सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, झांझाबाद
- ॥5॥ वित्त ई-11/निर्गुण-4/शिक्षा शाखा के समस्त अनुभाग।
- ॥6॥ कीर्षाधिकारी, लखनऊ को उपरोक्त स्वीकृति धराराश का कोषागार लखनऊ में आहरण कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह०/ एस० ए० रिजवी,
अनुसचिव

प्रेषक,

श्री एस० ए० रिजवी

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद/लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 1983

विषय : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 की राजाज्ञा सं० 1905/दस-18-20-2-70 दिनांक 30-10-81 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अवकाश नकदीकरण से संबंधित द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर सासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी तथा इस निमित्त होने वाले व्यय को वहन करने के लिये राज्यपाल महोदय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष (1982-83) में रु० 11,00,000/- (रु० ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृत धनराशि को कोषागार लखनऊ से आहरित कर लिया जाय तथा इस धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग सुनिश्चित किया जाय। शिक्षा निदेशक, उ० प्र० लखनऊ के शिविर कार्यालय के उपशिक्षा निदेशक, (शिविर) को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को दि० 31-3-83 से पूर्व आहरण करने के लिये अधिकृत किया जा रहा है।

(1) वेतन आयोग द्वारा संस्तुत और शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों में 1400 रुपये प्रतिमाह अथवा उसे कम वेतन पाने वाले परिषदीय सेवकों को एक मास/30 दिन (अवकाश नियमों के भेद से जैसी स्थिति हो) तथा 1400 रुपये प्रतिमास से अधिक पाने वाले परिषदीय सेवकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा, अवकाश के वास्तविक उपयोग के बिना, इस शर्त पर अनुमन्य होगी कि कथित एक मास/30 दिन/15 दिन के अर्जित अवकाश के अभ्यर्पणों के पश्चात्

अभ्यर्पण के दिनांक को संबंधित परिषदीय सेवक के अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन का अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रह जाये अवकाश के अभ्यर्पण के पश्चात् अवकाश लेखे में कम से कम 60 दिन के अर्जित अवकाश अवश्य देय शेष रखने का प्राविधान परिषदीय सेवकों के हितों को ध्यान में देखते हुए इस उद्देश्य से किया गया है कि परिषदीय सेवक आवश्यकता पड़ने पर उसका उपभोग कर सके और उन्हें अर्ध वेतन/निर्वेतन अवकाश लेने के लिए बाध्य न होना पड़े।

(2) वर्तमान वेतनमानों में कार्यरत परिषदीय सेवकों को जिसके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हों, अवकाश के नकदीकरण की अनुमन्यता के लिए उनके मूलवेतन में दिनांक 1-7-1979 को अनुमन्य मंहगाई भत्ता/अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार आगणित वेतन को आधार पर ही उन्हें एक मास 30 दिन / 15 दिन के अवकाश के नकदीकरण की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

(3) अवकाश नकदीकरण की सुविधा की पात्रता के लिये केवल मूल नियम 9 (2) (एक) में परिभाषित मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा अन्य वेतनों को उपेक्षित कर दिया जाना चाहिये।

(4) ज्ञात प्रकार के अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिए संबंधित परिषदीय को अवकाश वेतन/वेतन तथा मंहगाई भत्ता वह देय होगा जो उसे अभ्यर्पण के दिनांक से एक मास 30 दिन / 15 दिन का अर्जित अवकाश वास्तविक रूप से उपयोग करने की स्थिति में अन्यथा अनुमन्य होता, किन्तु उसे कोई मकान किराया भत्ता अभ्यर्पित अवकाश की अवधि के लिये देय न होगा। यह धनराशि सम्पूर्ण रूप से देय होगी और उसमें से भविष्य निधि, अग्रिम, मकान किराये, सरकारी समितियों के देय आदि के संबंध में कटौती नहीं की जायेगी।

(5) औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण को स्वीकार करने के लिए सक्षम होंगे। अर्जित अवकाश के अभ्यर्पण के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में (प्रतिनिधि संलग्न) दिये जाने चाहिए। परिषदीय सेवकों द्वारा नकदीकरण विषयक अपने आवेदन पत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा किस दिनांक को अभ्यर्पित माना जायेगा। तदनुसार संबंधित परिषदीय सेवक के अवकाश लेखे में से अभ्यर्पण के दिनांक को एक मास/30 दिन / 15 दिन का अर्जित अवकाश क्रम कर दिया जाना चाहिये और अवकाश लेखे में इस आशय की अभ्युक्ति अंकित कर दी जानी चाहिए। कि यह कभी परिषदीय सेवक द्वारा अवकाश अभ्यर्पण के फलस्वरूप की गयी है।

(6) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार अमुन्य होगी।

(7) अभ्यर्पित अवकाश तथा उसी के क्रम में लिया जाने वाला उपार्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश जैसी भी स्थिति हो, का योग किसी एक समय में परिषदीय सेवक को देय अवकाश अथवा 120 दिन से अधिक होगा।

(8) अवकाश के अभ्यर्पण की सुविधा ऐसे मामलों में अनुमन्य नहीं होगी जिनमें परिषदीय सेवकों को सेवा निवृत्त होने में एक मास/30 दिन/15 दिन से कम अवधि शेष हो।

(9) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभ्यर्पित अवकाश के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि अवकाश लेखों में कर दी गयी है, जहां तक परिषदीय कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्धित अवकाश वेतन के आहरण, के समय उनकी सेवा पुस्तिकाओं तथा उनके अवकाश लेखों में अभ्यर्पित अवकाश के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण अंकित कर दिया जायेगा। अभ्यर्पित/अवकाश से सम्बन्धित/अवकाश वेतन आहरित करते समय वितरण। अधिकारी द्वारा उस बिल में जिसमें अवकाश वेतन आहरित किया जाय इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उपरोक्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियों सेवा पुस्तिकाओं तथा अवकाश लेखों में कर दी गई है।

(10) परिषदीय सेवकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि यदि वे चाहें तो इस प्रकार से अभ्यर्पित किये हुए अवकाश के संबंध में प्राप्त धन को अपने भविष्य निधि के खाते में जमा कर दे।

(11) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत उन शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य न होगी जो प्राथमिक विद्यालयों के संबद्ध होने के कारण ग्रीष्म अवकाश अथवा अन्य इसी प्रकार का अवकाश उपभोग करते हैं।

2. यह आदेश दिनांक 1 मार्च 1981 से प्रभावी होगा।

3. यह निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1982-83) में आय-व्यय के लेखाशीर्षक 277-शिक्षा-क-प्राथमिक शिक्षा आयोजनेत्तर (1) अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (1) सहायक अनुदान) (/बालकों (2) बालिकाओं से विकलित होगा।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण (अनु०-11 के अशासकीय पत्र सं० 8 979 दस-ई 11-83 दिनांक 26-3-83 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

एस० ए० रिजवी

अनुसचिव